

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय
1, राज विहार, चकराता रोड, देहरादून।
(दूरभाष न0-0135-2760478, फ़ैक्स न0-0135-2761866)

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, द्वारा उत्तराखण्ड एवं सीमावर्ती राज्यों के विभिन्न मार्गों पर यात्री सुविधा के रूप में रेस्टोरेंट को सूचीबद्ध किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्रस्ताव हेतु शर्तों का विवरण www.utc.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि 31.12.2016 समय 15:00 बजे तक है।

महाप्रबन्धक (संचालन)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, मुख्यालय
1, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।
रेस्टोरेन्ट अनुबन्ध हेतु आवेदन पत्र

फार्म मू0रू0 5000+14.5%वैट कुलयोग= रू0 5725.00(पांच हजार सात सौ पच्चीस रू0)का ड्राफ्ट।
जमानत की धनराशि रूपये-100000-00 (एक लाख रूपये)का ड्राफ्ट। (रिफण्डेबल)

फार्म संख्या.....

रसीद/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि: 31.12.2016 अपरान्ह 15.00 बजे तक।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं मोहर

- 1- रेस्टोरेन्ट मालिक का पूरा नाम व पता
- 2- रेस्टोरेन्ट मालिक की विधिक प्रास्थिति:-
- (अ) रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा आवेदन व्यक्तिगत रूप में अथवा पार्टनरशिप
- फर्म/लिमिटेड कम्पनी की ओर से किया जा रहा है (पार्टनरशिप डीड अथवा मेमोरेण्डम
ऑफ एसोसिएशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 3- रेस्टोरेन्ट का स्थान-
- 4- रेस्टोरेन्ट की पंजीकरण संख्या तिथि..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 5- रेस्टोरेन्ट का फूड लाईसेंस संख्या..... तिथि..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6- वैट का रजिस्ट्रेशन संख्या..... तिथि..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 7- सर्विस टैक्स का नम्बर..... तिथि..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..
- 8- आयकर पैन नम्बर..... तिथि..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 9- मार्ग का नाम जिस पर रेस्टोरेन्ट संचालित है
- 10- रेस्टोरेन्ट में एक समय पर कितनी बसों की पार्किंग
- की व्यवस्था है(क्षेत्रफल स्पष्ट करें)
- 11- रेस्टोरेन्ट से थाने/पुलिस चौकी की दूरी
- 12- रेस्टोरेन्ट के आस-पास पेट्रोल पम्प उपलब्ध है
- अथवा नहीं। यदि उपलब्ध है तो कितनी दूरी
- पर स्थित है ?

- 13- निकटतम बस स्टेशन व उससे ढाबा की दूरी
- 14- रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा निगम को प्रतिबस प्रतिट्रिप दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि -

बस की श्रेणी	दर (रूपये)

बस की श्रेणी में साधारण/सेमी डीलक्स एवं वोल्वो/ए0सी0 बसों में से एक ही श्रेणी की दरें भरी जाय किन्तु पर्वतीय मार्गों पर सभी बसों की श्रेणी हेतु एक ही दर अनुमन्य होगी।

- 15- रेस्टोरेन्ट की भूमि रेस्टोरेन्ट स्वामी की है अथवा किराये
पर है। (रजिस्टर्ड इकरारनामा आदि का विवरण दिया जाये)

नोट :-

- 1- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा
उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा :-

- (1)- रेस्टोरेन्ट का फूड लाईसेंस प्रमाण पत्र।
- (2)- वैट का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- (3)- आयकर पैन नम्बर।
- (4)- आवेदन पत्र का मूल्य रू0 5725.00(पांच हजार सात सौ पच्चीस रू0)का ड्राफ्ट।
- (5)- जमानत की धनराशि रूपये-100000-00 (एक लाख रूपये)का ड्राफ्ट। (रिफण्डेबल)

- 2- रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा अनुबन्ध करने से पूर्व जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो कि तीन माह से अधिक समय का न हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

मैं/हम शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही व सत्य है तथा मैं/हम परिवहन निगम द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से सहमत हूँ/हैं।

तिथि :-

हस्ताक्षर
ढाबा मालिक

आवश्यक शर्तें

- 1- आवेदन फार्म का मूल्य रू0 5000+14.5%वैट कुलयोग=रू0 5725.00(पांच हजार सात सौ पच्चीस रू0) का ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून के नाम बनाकर आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- आवेदक को प्रतिभूति राशि रूपये 100000-00(एक लाख रूपये)का बैंक ड्राफ्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून के नाम बनाकर आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जो रिफण्डेबल है।
- 3- प्रथम पक्ष (उत्तराखण्ड परिवहन निगम) द्वारा निर्धारित की गई सुविधाओं की आपूर्ति रेस्टोरेन्ट मालिक को अनुबन्ध के अनुसार करना होगा तथा रेस्टोरेन्ट पर रुकने वाली बस की आवश्यकता पड़ने पर साफ-सफाई एवं यात्रियों को टॉयलेट सुविधा निःशुल्क सुनिश्चित की जाएगी।
- 4- ब्राण्डेड /Food Chain रेस्टोरेन्ट को वरीयता दी जायेगी।
- 5- प्रथम पक्ष की प्रतिदिन रुकने वाली बसों का एक रजिस्टर रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा भी रखा जायेगा जिस पर प्रतिदिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष करायेगा।
- 6- द्वितीय पक्ष(रेस्टोरेंट स्वामी),रेस्टोरेंट/रेस्टोरेन्ट पर रुकने वाली प्रत्येक बस के परिचालक को निर्धारित की जाने वाली धनराशि वाल्वो/ए0सी0, सेमी डीलक्स/साधारण बस ठहराव हेतु देनी होगी, जिसकी रसीद रेस्टोरेन्ट स्वामी ढाबा शुल्क प्राप्ति रसीद बुक से परिचालक को उपलब्ध करायेगा तथा जिसकी मूल प्रति पर द्वितीय पक्ष को हस्ताक्षर करना होगा।
- 7- निर्धारित मार्ग पर वर्तमान में संचालित उच्चतम दर वाले रेस्टोरेन्ट की दर को आधार मानते हुए बस ठहराव हेतु दरें स्वीकार की जायेंगी, उससे कम दर वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8- द्वितीय पक्ष(रेस्टोरेंट स्वामी), रेस्टोरेन्ट में प्रथम पक्ष की बस के चालक/परिचालक को निःशुल्क भोजन/जलपान उपलब्ध करायेगा तथा चालक/परिचालक यदि उक्त रेस्टोरेन्ट से पी0सी0ओ0/फैक्स का प्रयोग विभागीय कार्य हेतु करते हैं, तो इस सुविधा को भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। यह टेलीफोन बस के चालक/परिचालक बस स्टेशन/निगम के विभिन्न टेलीफोन नम्बरों पर कर सकता है जिसकी एक सूची प्रत्येक रेस्टोरेन्ट मालिक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 9- रेस्टोरेन्ट पर केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध कराया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा कुछ खाद्य सामग्री जैसे भोजन, थाली, चाय, समोसा आदि की बिक्री निगम द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही की जायेगी।
(निगम द्वारा पेय/खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य(वैट सहित)सूची निम्नवत् है।) यदि निगम द्वारा किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ की **Co.Branded** किया जाता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा केवल उसी **Brand** की बिक्री निर्धारित दर पर की जायेगी। (वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम

द्वारा ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर पीने के पानी की आपूर्ति हेतु "उत्तराखण्ड परिवहन नीर" के आपूर्तिकर्ता मै0एक्सिस इन्टरनेशनल नोबस्ताकला देवारोड चिन्हट लखनऊ को अनुबन्धित किया गया है कृपया आप अधिकृत रेस्टोरेन्ट पर "उत्तराखण्ड परिवहन नीर" की बिक्री की जानी है।) यदि द्वितीय पक्ष की यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं धोखाधड़ी करने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का अनुबन्ध समाप्त करते हुए प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है साथ ही द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी। निगम द्वारा पेय/खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य(वैट सहित)सूची निम्नवत् है :-

क्र०सं०	पेय/खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	निगम द्वारा निर्धारित मूल्य (वैट सहित)	
			साधारण बसों के लिए अनुबन्धित रेस्टोरेन्ट हेतु निर्धारित मूल्य रूपये।	वोल्वो/ए.सी. बसों के लिए अनुबन्धित रेस्टोरेन्ट हेतु निर्धारित मूल्य रूपये।
1	चाय – कप अथवा डिस्पोजल में।	150 मि.ली.	10 / –	15 / –
2	काफी – कप अथवा डिस्पोजल में।	150 मि.ली.	20 / –	30 / –
3	शकाहारी थाली, (1– चावल पुलाव या जीरा चावल या साधा चावल अच्छी गुणवत्ता वाला 2– 2 परांठा या 4रोटी अथवा 5 पूड़ी, 3– दाल 4– मिक्स सब्जी(seasonal) 5– सब्जी करी (seasonal) 7– अचार)	एक थाली (150 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 15 ग्राम)	40 / –	80 / –
4	शकाहारी सेंडविच	2 पीस	20 / –	30 / –
5	समोसा	1 पीस	10 / –	15 / –
6	डोसा	1 पीस	50 / –	80 / –
7	मिक्स पकोड़ा,	1 प्लेट(150 ग्राम)	25 / –	80 / –
8	वेज बर्गर	1 (एक)	30 / –	50 / –
9	परांठा, अचार का पैकेट (15 ग्राम)	1 (एक)	25 / –	30 / –
10	ब्रैड पकोड़ा	1 (एक)	10 / –	20 / –

- 10– द्वितीय पक्ष (रेस्टोरेन्ट स्वामी)को प्रथम पक्ष के नामित अधिकारी के साथ संयुक्त हस्ताक्षर से अनुमोदित खाद्य पदार्थों के विक्रय मूल्य एवं खाद्य पदार्थों की सूची उपयुक्त स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर रेस्टोरेन्ट स्वामी के साथ हुए अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है।

- 11- द्वितीय पक्ष (रेस्टोरेन्ट स्वामी), द्वारा रेस्टोरेन्ट पर एक शिकायत बॉक्स भी रखना होगा। यदि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कोई परिवाद प्राप्त होती है तो सम्बन्धित क्षेत्र के मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) अथवा प्रथम पक्ष के नामित अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराई जायेगी और यदि जांच में रेस्टोरेन्ट मालिक की त्रुटि पायी जाती है तो प्रथम बार आर्थिक दण्ड कम से कम ₹0-20,000.00 (बीस हजार रुपये) दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। यदि इस प्रकार की परिवादें पुनः पायी जाती है तो द्वितीय पक्ष से किया गया अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
- 12- पूर्व में संचालित रेस्टोरेन्ट के रेस्टोरेन्ट स्वामी का आवेदन मान्य नहीं होगा। यदि किसी रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा रेस्टोरेन्ट का अनुबन्ध के पश्चात् अपने अनुबन्ध/रेस्टोरेन्ट को किसी दूसरे व्यक्ति से **Sublet** किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13- रेस्टोरेन्ट को खोलने के सम्बन्ध में यदि विधिक रूप से किसी नियम/अधिनियम स्थानीय निकायों के नियमों इत्यादि के अन्तर्गत कोई लाईसेंस वांछित हो तो इसको प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई विधिक/ वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष पर अधिरोपित होता है तो उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति (किराया/माल भाडा) की वसूली द्वितीय पक्ष के चल/अचल सम्पत्ति से प्रथम पक्ष द्वारा की जा सकती है।
- 14- द्वितीय पक्ष (रेस्टोरेन्ट स्वामी), यात्रियों को सुरक्षा एवं उनके सद्व्यवहार के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेगा तथा आवश्यक व्यवस्था करने के लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होगा।
- 15- द्वितीय पक्ष (रेस्टोरेन्ट स्वामी), द्वारा अनुबन्ध होने के पश्चात् रेस्टोरेन्ट पर 04 सी0सी0 टी0बी0 लगाने अनिवार्य होंगे जो कि **Internet** एवं **Static I P** से **Connect** रहेंगे।
- 16- निगम की वाहनों का ठहराव हेतु सम्बन्धित रेस्टोरेन्ट मालिक से एक वर्ष के लिए अनुबन्ध किया जायेगा और इस अवधि में रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा अनुबन्ध के अनुलग्नक-1 व अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। यदि इस अवधि में सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है या रेस्टोरेन्ट स्वामी के विरुद्ध किसी प्रकार की सिद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 17- अनुबन्ध के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रथम पक्ष के निगम मुख्यालय में तैनात महाप्रबन्धक (संचालन) द्वारा की जायेगी, परन्तु इससे पूर्व द्वितीय पक्ष को कारण बताओं नोटिस निर्गत करना आवश्यक होगा। ऐसी नोटिस की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त सुनवाई का मौका देने के उपरान्त ही अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा जमानत की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
- 18- यदि किसी ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी का अनुबन्ध पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर समाप्त/निरस्त हुआ हो तो उस रेस्टोरेन्ट स्वामी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 19- **प्रतिवेदन:-** महाप्रबन्धक (संचालन) निगम मुख्यालय के आदेश के विरुद्ध द्वितीय पक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत कर सकता है जो गुण-दोष के आधार पर स्थगन आदेश प्रदान करते हुए अथवा बिना स्थगन आदेश प्रदान करते हुए विचार कर आवश्यक निर्णय लेंगे।
- 20- **स्टाम्प व्यय:-** अनुबन्ध में होने वाले स्टाम्प व्यय आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
- 21- **प्रतिभूति की धनराशि:-** प्रतिभूति की कुल राशि रू0 3,00000.00 (तीन लाख रुपये) प्रथम पक्ष के पास अनुबन्ध अवधि तक जमा रहेगी तथा इस धनराशि से भी प्रथम पक्ष को, हुई किसी हानि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। प्रतिभूति राशि पर द्वितीय पक्ष द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 22- **रेस्टोरेन्ट पर रूकने वाली बसों की संख्या एवं समय तथा अधिकतम ठहराव- परिवहन निगम द्वारा किसी रेस्टोरेन्ट पर रूकने वाली बसों की अनुमानित संख्या उनके अनुमानित पहुंचने का समय का विवरण द्वितीय पक्ष को समय-समय पर उसकी मांग पर प्राप्त कराया जा सकता है। द्वितीय पक्ष को आश्वस्त करना होगा कि बस का ठहराव 150 कि०मी० से अधिक दूरी की बस का 30 मिनट व इससे कम दूरी की बसों का ठहराव 15 मिनट से अधिक समय का न हो एवं इस अवधि में ही सभी यात्रियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो जाए।**
- 23- **रेस्टोरेन्ट की निरीक्षण व्यवस्था-** ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर उपलब्ध सुविधा, उनका स्तर एवं प्राप्त परिवारों की जांच इत्यादि के लिए निम्न अधिकारी/ अधिकृत होंगे।
- 1- प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित अधिकारी।
 - 2- प्रथम पक्ष द्वारा नामित अधिकारी।
 - 3- मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)।
 - 4- सहायक महाप्रबन्धक।
- 24- **रेस्टोरेन्ट पर विक्रय किये जाने हेतु सामान/मात्रा व दरों की सूची-**द्वितीय पक्ष रेस्टोरेन्ट पर विक्रय किये जाने वाले समस्त सामानों, उनकी मात्रा ब्राण्ड एवं उसके सापेक्ष मूल्यों की सूची प्रस्ताव के साथ प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करेगा। इस सूची को मुख्यालय द्वारा विचार कर यदि आवश्यक हुआ तो संसोधन के साथ अनुमोदित किया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। ऐसी अनुमोदित सूची द्वितीय पक्ष रेस्टोरेन्ट पर पठनीय रूप से प्रदर्शित करेगा। दरों में परिवर्तन द्वितीय पक्ष की प्रार्थना पर निगम मुख्यालय की समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त किया जा सकता है। मुख्यालय स्वयं प्रत्येक वर्ष दरों के पुनरीक्षण हेतु विचार करेगा।
- 25- **रेस्टोरेन्ट को अधिकृत किये जाने की समयावधि-** रेस्टोरेन्ट का अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जा सकता है एक वर्ष पश्चात् पुनः नये सिरे से रेस्टोरेन्ट चयनित किये जायेंगे। रेस्टोरेन्ट के नवीनीकरण की मांग द्वितीय पक्ष अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता है।
- 26- **रेस्टोरेन्ट पर रेस्टोरेन्ट के संचालन से होने वाली शिकायतों का निस्तारण-** रेस्टोरेन्ट के संचालन में सुविधाओं के अभाव, खाद्य पदार्थों के खराब होने अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायतों पर जांचोपरान्त प्रथम पक्ष ऐसे निर्देश दे सकता है जिसे वह शिकायतों के निस्तारण को आवश्यक

- समझें। इसमें किसी यात्री को हुई क्षतिपूर्ति भी शामिल है। ऐसे सभी निर्देशों का पालन करना द्वितीय पक्ष के लिये आवश्यक होगा।
- 27— निगम किसी देवीय आपदा, कानूनी व्यवस्था, कर्पयू आदि की स्थिति में द्वितीय पक्ष के रेस्टोरेन्ट पर बसों का रूकना आश्वस्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 28— प्रथम पक्ष का यह अधिकार होगा की वह किसी भी मार्ग पर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक रेस्टोरेन्ट को अधिकृत कर सकता है। एवं किसी मार्ग पर आने-जाने हेतु अलग-अलग रेस्टोरेन्ट को अधिकृत कर सकता है। निगम आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या अथवा डिपो की संख्या घटा बढ़ा सकेगा। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 29— यदि किसी ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी द्वारा पूर्व में अथवा वर्तमान में निगम के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद/रिट याचिका योजित की गई हो तो उस रेस्टोरेन्ट स्वामी की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 30— यदि किसी नियम/उपनियम अथवा स्थानीय निकायों के नियम/उपनियम के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी द्वारा रेस्टोरेन्ट में खाद्य पदार्थ आदि की गुणवत्ता आदि को हानिकारक पाया जाता है अथवा ऐसी गतिविधियां संसूचित की जाती है, जो नियम विरुद्ध हो तो इसका पूर्ण उत्तरादाचित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
- 31— अनुबन्ध की समाप्ति हेतु आवश्यक नोटिस-द्वितीय पक्ष एवं प्रथम पक्ष दोनों ही अनुबन्ध की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय एक माह की नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
- 32— द्वितीय पक्ष, किये गये अनुबन्ध की एक प्रति रेस्टोरेन्ट पर प्रदर्शित करेगा ताकि निरीक्षण अधिकारियों को उपलब्ध रहें।
- 33— यह अनुबन्ध, निष्पादन के दिनांक से एक वर्ष तक के लिए वैध होगा। निगम आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या अथवा डिपो की संख्या घटा बढ़ा सकेगा। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 34— उक्त अनुबन्ध/शर्तों में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदय उत्तराखण्ड परिवहन निगम में निहित होगा।
- 35— ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को विभिन्न श्रेणी की बसों हेतु अलग-अलग आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा।
- 36— ढाबा/रेस्टोरेन्ट स्वामी को आवेदन पत्र के साथ रेस्टोरेन्ट के क्षेत्रफल एवं रेस्टोरेन्ट के पार्किंग स्थल के क्षेत्रफल की माप का (मानचित्र सहित) अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- 37— ढाबा/रेस्टोरेन्ट के आसपास हाईटेशन लाईन नहीं होनी चाहिए।
- 38— आवेदक इस आधार पर रेस्टोरेन्ट के अनुबन्ध हेतु क्लेम नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा दी गई दरें उच्चतम हैं। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा रेस्टोरेन्ट की गुणवत्ता एवं उपलब्ध

कराई गई यात्री सुविधाओं तथा रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण को आधार मानते हुए लिये गये निर्णय के अनुसार अनुबन्ध किया जायेगा।

- 39- ए0सी0/वोल्वो बसों के यात्रियों के लिए रेस्टोरेन्ट पर बैठने,भोजन करने का स्थान वातानुकूलित होना अनिवार्य होगा।
- 40- ढाबा/रेस्टोरेन्ट के चयन हेतु प्रस्तावित स्थान निर्धारित मार्ग के लगभग मध्य होना अनिवार्य है।
- 41- प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मार्ग पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित किसी भी ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की किसी भी क्षेत्र/डिपो की बसों का ठहराव किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष को किसी क्षेत्र विशेष/डिपो विशेष की वाहन को ढाबा/रेस्टोरेन्ट पर रोके जाने का अधिकार नहीं होगा।
- 42- प्रथम पक्ष को प्राप्त होने वाली किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार भी प्राप्त होगा।
- 43- किसी भी विवाद की स्थिति में जनपद न्यायालय देहरादून का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।

अनुबन्ध में प्रयुक्त किसी शब्द अभिव्यक्ति शर्तो या उपबन्ध के अर्थ निर्वचन या अर्धान्वयन के सम्बन्ध में किसी पक्ष के अधिकारों या दायित्वों के सम्बन्ध में या अन्य किसी प्रकार के मामले में कोई विवाद संशय या मतभेद उत्पन्न होने पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम के किसी अधिकारी को प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक मात्र मध्यस्थ हेतु ऐसा विषय सदर्भित किया जायेगा और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय/अभिनिर्णय पक्षकारों के बीच अन्तिम निर्णायक एवं बाध्यकारी होगा। ऐसे सभी सन्दर्भों में आरबिट्रेशन एक्ट-1996 के प्राविधान एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियम निस्तारण हेतु लागू होंगे।

ह0

महाप्रबन्धक(संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
मुख्यालय, देहरादून।

अनुलग्नक-1

रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से रेस्टोरेन्ट पर यात्री सुविधा के दृष्टिकोण से दी जाने वाली निर्धारित सुविधाएं/शर्तें :-

- 1- स्वच्छ एवं शुद्ध पानी पीने हेतु आर.ओ0/यू.वी. सिस्टम सहित वाटर कूलर लगा हो।
- 2- पुरुष एवं महिला शौचालय, अलग-अलग, निःशुल्क एवं आधुनिक फिटिंग तथा टायल्स युक्त निर्मित होना अनिवार्य है।
- 3- पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था।
- 4- पर्याप्त संख्या में पंखों की व्यवस्था।
- 5- बैठने की समुचित व्यवस्था हेतु कुर्सी मेज एवं शेड ताकि वर्षा एवं धूप से बचा जा सके।
- 6- प्राथमिक चिकित्सा की लघु व्यवस्था।
- 7- पी0सी0ओ0/फैक्स।
- 8- बस की सुरक्षा हेतु गार्ड की उपलब्धता।
- 9- विक्रय हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सामान।
 - (1) खाद्य पदार्थ :- भोजन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, फल, जूस, पान आदि।
 - (2) अन्य सामान जनरल मर्चेन्ट से सम्बन्धित।
- 10- मूल्य एवं मात्रा सूची पठनीय रूप में उपयुक्त स्थल पर प्रदर्शित हो।
- 11- जनरेटर की सुविधा।
- 12- टी0वी0।
- 13- उदघोषणा यंत्र जिससे बस के प्रस्थान की घोषणा की जा सके।
- 14- शिकायत पेटिका जिसकी चाबी निकटतम डिपो सहायक महाप्रबन्धक के पास रहेगी एवं प्रति सप्ताह रेस्टोरेन्ट मालिक के समक्ष खोली जायेगी। प्राप्त परिवादों का अंकन एक पंजिका में किया जायेगा, जिस पर रेस्टोरेन्ट मालिक के हस्ताक्षर भी होंगे तथा एक प्रति रेस्टोरेन्ट स्वामी को भी दी जायेगी।
- 15- निगम बसों के निःशुल्क हवा भरने एवं निःशुल्क पंचर ठीक कराने की व्यवस्था।
- 16- निगम चालक/परिचालक को निःशुल्क एवं स्वादिष्ट भोजन।
- 17- कोई मादक पदार्थ विक्रित नहीं किया जायेगा और न ही रेस्टोरेन्ट पर किसी अन्य को इस सम्बन्ध में कोई अनुमति रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा दी जायेगी।
- 18- रेस्टोरेन्ट में एक समय में कम से कम 10 बसों (क्षेत्रफल 2000-3000 वर्ग मीटर) की बाउन्ड्री वाल के अन्दर पार्किंग की व्यवस्था होनी आवश्यक होगी। इन बसों में वाल्वो, ए0सी0, हाईटैक एवं साधारण बसें सम्मिलित होंगी।
- 19- अवांछित व्यक्ति का ढाबे में आवागमन न हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रबन्ध रेस्टोरेन्ट मालिक सुनिश्चित करेगा।
- 20- वाहन की सूक्ष्म सफाई की व्यवस्था ताकि बस के अन्दर से सूक्ष्म सफाई एवं वाहय हिस्से में उल्टी इत्यादि साफ हो सके।
- 21- बस के क्रू द्वारा /निगम के अधिकारियों/ स्टेशनों पर टेलीफोन से निःशुल्क फोन की सुविधा।
- 22- रेस्टोरेन्ट 24 घण्टे खुला रहना आवश्यक है।
- 23- रेस्टोरेन्ट/ से पेट्रोल पम्प एवं पुलिस चौक पोस्ट की दूरी 5 कि0मी0 से अधिक न हो।

- 24- भोजन अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के उपलब्ध कराने से पहले Electronic Bill देना अनिवार्य है।
- 25- यात्रियों के हित में अन्य सुविधायें जो समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाये।
- 26- रेस्टोरेन्ट में रसोई की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर बन्द एवं पारदर्शी हो तथा वह रेस्टोरेन्ट में बैठने वाले यात्रियों को दिखाई दे।
- 27- रेस्टोरेन्ट के सभी कर्मचारियों को **Uniform** में होना अनिवार्य होगा।
- 28- रेस्टोरेन्ट पर रेस्टोरेन्ट शिफ्ट मैनेजर एवं रेस्टोरेन्ट स्वामी के मोबाइल नम्बर डिस्प्ले होना अनिवार्य है।
- नोट:- निगम द्वारा निर्धारित समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त सूची में किसी यात्री सुविधा को घटा अथवा बढ़ा सकती है।